बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0 संख्याः– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना, दिनांक :– 19.9.24

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के अधीन मुख्यमंत्री ग्रामीण सम्पर्क योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सबरौली से करहुआघाट पथ की जॉच तीन सदस्यीय जॉच समिति से कराई गई। जॉच समिति द्वारा दिनांक 21.08.2021 को निरीक्षण के क्रम में पथ के GSB Gr.-I एवं WBM Gr.-III की मुटाई एवं Road way की चौड़ाई प्रावधान से कम पायी गयी। Carriage way की चौड़ाई बांध पर कम पायी गयी। बाढ़ के कारण कई जगह पथ में कटाव पाया गया जिसके कारण Shoulder तथा Bitumen Part के क्रस्ट एवं Edge क्षतिग्रस्त हो गया था। पथ के CC Portion में Crack एवं Surface expose हो गया था जिसमें जॉच के समय सुधारात्मक कार्य कराया जा रहा था। प्राक्कलन में प्रावधानित दो अदद HP culvert के स्थान पर 1 अदद HP culvert पाया गया। साथ ही जॉच प्रतिवेदन में वित्तीय क्षति होने का भी उल्लेख किया गया।

2. उपर्युक्त जॉच प्रतिवेदन के आलोक में पथ निर्माण कार्य में पाई गई अनियमितता के लिए श्री सनोज राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 914 दिनांक 29.04.2022 द्वारा उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री राम द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 14.07.2023 के माध्यम से अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग से कराई गई। अभियंता प्रमुख द्वारा अपने समीक्षा में उल्लेख किया गया कि

"जॉच दल द्वारा 200m stone, traffic sign प्रावधान से कम पाया गया। इस संबंध में आरोपित सहायक अभियंता का स्पष्टीकरण की उनका पदस्थापन जून 19 तक रहा है एवं उसके बाद पदस्थापित सहायक अभियंता ही इस संबंध में स्पष्ट कर सकेंगे, स्वीकारयोग्य नहीं है। traffic sign अथवा 200m stone निर्माण कार्य के दौरान स्थापित किये गये थे, इस संबंध में आरोपित सहायक अभियंता ने कोई साक्ष्य जैसे फोटोग्राफ इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया है। (ii) ch-125m पर उपरी तल की चौडाई 5.15m एवं ch-941m पर 3.8m पायी गयी, जो प्रावधानित 6m से कम ch-125m पर उपरी तल की चौडाई 5.15m एवं 941m पर 3.8m पाये जाने के संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि पथ का निर्माण कार्य दिनांक 03.08.2018 को पूर्ण हुआ था। उसके पश्चात् अत्यधिक वर्षा एवं बाढ के कारण flank में कमी आयी है, FDR प्रतिवेदन एवं संलग्न फोटोग्राफ के आलोक में यह माना जा रहा है कि flank की चौडाई में पानी के कारण कमी आयी होगी। अतः इस संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण को स्वीकारात्मक माना जा सकता है। (iii) ch-125m पर GSB GR-1 की मोटाई 200mm के स्थान पर 66mm तथा ch-941m पर GSB Gr-I की मोटाई 200mm के स्थान पर 53mm पाये जाने संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि FDR के कारण road क्षतिग्रस्त हो गया था जिसके कारण Road crust disturb हो गया था। जॉच प्रतिवेदन में जॉच दल द्वारा FDR effected chainage पर sample लिये जाने का उल्लेख नहीं है। संलग्न फोटोग्राफ से यह प्रतीत होता है कि केवल कुछ चैनजों पर ही flood के कारण road crust क्षतिग्रस्त हुआ है। अतः मोटाई के संबंध में बचाव बयान स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। (iv) ch-125m पर WBM Gr-III की मोटाई 75mm के स्थान पर 64mm तथा ch-941 पर WBM GrIII की मोटाई 75mm पाया गया। क्षेत्रीय प्रयोगशाला, दरभंगा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार CH-125m पर WBM Gr-

III का Gradation जॉचफल स्वीकार योग्य नहीं होने के संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में FDR के कारण road crust का disturb होना बताया है। जॉच प्रतिवेदन में जॉचदल द्वारा FDR effeted chainage पर sample लिये जाने का उल्लेख नहीं है। संलग्न फोटोग्राफ से यह प्रतीत हो रहा है कि केवल कुछ चैनेजों पर ही flood के कारण road crust क्षतिग्रस्त हुआ है। अतः मोटाई के संबंध में बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है। (v) प्राक्कलन में प्रावधानित दो अदद HP culvert के स्थान पर 1 अदद HP culvert पाये जाने के संबंध में श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि स्थल के आवश्यकतानुसार वरीय पदाधिकारी के निदेश पर दो स्थानों के स्थान पर एक HP culvert का निर्माण किया गया था। श्री राम ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया है कि स्थल के स्थल के अनुरूप MB में Entered कर भुगतान किया गया होगा तो कोई वित्तीय क्षति नहीं होगी परन्तु श्री राम द्वारा अपने स्पष्टीकरण के साथ MB की छायाप्रति को संलग्न नहीं किया गया है।"

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अभियंता प्रमुख द्वारा समीक्षोपरान्त उपर्युक्त आरोप को समेकित रूप में आंशिक रूप से स्वीकारात्मक माने जाने का मंतव्य अंकित किया गया।

3. मामले की समग्र समीक्षोपरान्त श्री सनोज राम के स्पष्टीकरण को अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय सक्षम प्राधिकार द्वारा लिया गया।

4. अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री सनोज राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2 को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के नियम–14 (v) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

18/09/24

(डॉ0 फातेह फैयाज)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना, दिनांकः– 19.9.24

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित विभाग, बिहार, पटना को दो प्रतियों में हार्ड कॉपी एवं सी.डी के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/09/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना, दिनांकः– 19.9.24

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना/दिनांकः– 19.9.24

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल मधुबनी/भागलपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना/दिनांकः– 19.9.24

प्रतिलिपिः– श्री सनोज राम, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेनीपट्टी सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बॉका–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/09/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना/दिनांकः– 19.9.24

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

18/09/24

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ0प्र0–01–35/2021 2518 /पटना/दिनांकः– 19.9.24

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18/09/24

संयुक्त सचिव